

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा राजस्थान

क्रमांक /रथा/09/

दिनांक 8.12.2009

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक बांसवाडा का पत्र क्रमांक 15316-17 दिनांक 12.11.09 प्राप्त होने से और जिले में महिला पुलिस थाना व आबकारी थाने रथापित हो जाने के कारण पुरुषवर्ती समरत आदेश का अतिलंघित करते हुए बांसवाडा जिले में उद्भूत होने वाले समरत आपराधिक मामलों के प्रसंज्ञान, जांच, विचारण एवं निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार संबंधी पुरुषवर्ती आदेश को संशोधित कर पुनः नवीन आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 14(1) एवं 15(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बृजेश पुरोहित राज.न्या.सेवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा निम्न आदेश पारित करता हूँ-

1- मुख्य न्यायिक मजि.बांसवाडा

- अ- आरक्षी केन्द्र कोतवाली बांसवाडा एवं महिला थाना बांसवाडा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समरत आपराधिक मामले तथा आबकारी वृत बांसवाडा एवं आबकारी थाना बांसवाडा से संबंधित समरत मामले! उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।



- ब- कुशलगढ़ उपखण्ड को छोड़कर बांसवाडा जिले में उद्भूत खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, धारा 467, 468, 471, 409 भा० द० स० आवश्यक वस्तु अधिनियम, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, कीटनाशी अधिनियम, 1968 से संबंधित समरत मामले

2- अति.मुख्य न्यायिक मजि.बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र सदर बांसवाडा में उद्भूत समरत आपराधिक मामले उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

3-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र आंबापुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समरत आपराधिक मामले। उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।
- धारा 125वीं 128 द० प्र० स० से संबंधित बांसवाडा मुख्यालय रिथत न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों से संबंधित समरत मामले।

4-अति.सिविल न्यायाधीश, क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा

- आरक्षी केन्द्र दानपुर के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समरत आपराधिक मामले, आरक्षी केन्द्र माटीडेम के क्षेत्राधिकार के तहसील बांसवाडा से संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न समरत आपराधिक मामले।

उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

5-अति.मुख्य न्यायिक मजि.कुशलगढ़

- आरक्षी केन्द्र कुशलगढ़, पाटन तथा सल्लोपाट, कलिंजरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत वे समरत आपराधिक मामले जो राजस्व तहसील कुशलगढ़ से संबंधित हैं एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण

अधिनियम, 1954, धारा 467, 468, 471, 409 भा० द० रां०, आवश्यक
वर्तु अधिनियम, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, आबकारी
थाना कुशलगढ़ से संबंधित मामले

6-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागीदौरा

अन्य मजिस्ट्रेटको अधिकृत किया गया है।

आरक्षी केन्द्र आनन्दपुरी, एवं कलिंजरा तथा सल्लोपाट के क्षेत्राधिकार में उद्भूत समस्त मामले जो राजस्व तहसील बागीदौरा से संबंधित हो,, आबकारी थाना कुशलगढ़ व बांसवाड़ा से संबंधित वे मामले जो बागीदौरा राजस्व तहसील में उद्भूत होने वाले हैं। उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से

7-न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़ी

क्षेत्राधिकार में उत्पन्न समस्त मामले। | अन्य मजिस्ट्रेटको अधिकृत किया गया है।

आरक्षी केन्द्र गढ़ी एवं लोहारिया थाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत एवं आबकारी थाना बांसवाड़ा में उद्भूत राजस्व तहसील गढ़ी के

उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य

8-न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल

यह आदेश दिनांक 8.12.09 से प्रभावी होगा एवं इस आदेश से पूर्व जो भी मामले जिन न्यायालयों में
विचाराधीन हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा।

आरक्षी केन्द्र खमेरा, लोहारिया एवं माहीडेम थाना में उद्भूत राजस्व तहसील घाटोल से संबंधित मामले तथा आबकारी थाना

घाटोल में उद्भूत समस्त मामले

उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए विषेश रूप से अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

५।८

बृजेश पुरोहित :
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा।

क्रमांक / रथा०/०९/ ९५

दिनांक 8.12.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है-

1-श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

2-श्रीमान् जि ला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा

3-श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

4-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा

5-अति०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा / कुशलगढ़

6-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा

7-मुख्य विक्रित्सा एवं स्वारस्य अधिकारी, बांसवाड़ा

8-पुलिस उप अधीक्षक, बांसवाड़ा / कुशलगढ़ / घाटोल

9-अति०सिविल न्यायाधीश, क०ख०: एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

10-समस्त आरक्षी केन्द्र जिला बांसवाड़ा

11-सहायक निदेशक अभियोजन विभाग, बांसवाड़ा

12-जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा

13-अध्यक्ष चार एसोसिएशन बांसवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / कुशलगढ़ / बागीदौरा

- 14—श्रम निरीक्षक, बांसवाडा
15—सहायक खान अभियन्ता, बांसवाडा
16—क्षेत्रिय वन अधिकारी, बांसवाडा / कुशलगढ़ / घाटोल / गढ़ी / वामीदौरा / दानपुर
17—खात्य निरीक्षक, बांसवाडा
18—वाणिज्य कर अधिकारी, बांसवाडा
19—जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाडा

बृजेश पुरोहित
मुख्य न्यायिक मणिरद्वे
बांसवाडा।

1—श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, शाज 0 उच्च न्यायालय, जोधपुर